रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 547] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 1985/अग्रहायण 28, 1907
No. 547] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 1985/AGRAHAYANA 28, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1985

सा. का. नि. 912 (अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 324 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1972 के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. पेंशन और उपदान.—(1) वह व्यक्ति जो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने से ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, अपने विकल्प पर, जिसका प्रयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा, ऐसी तारीख से उस सेवा को जिसका वह है, लागू होने वाले नियमों के अधीन अपनी पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति फायदे प्राप्त करने का हकदार होगा।

परन्तु यह कि ऐसी दशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसका वेतन, सकल पेंशन के समतुल्य राशि (जिसके अन्तर्गत पेंशन का वह भाग भी है जो सराशीकृत कर दिया गया हो) और अन्य सेवा निवृत्ति फायदे के समतुल्य राशि तक कम कर दिया जाएगा और वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में की गई सेवा के लिए पेंशन का भी हकदार होगा जैसा कि उपनियम (3) में उपबंधित है।

(2) वह व्यक्ति जो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने से ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, यदि वह उपनियम (1) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व जिस सेवा का था उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन पेंशन और सेवा निवृत्ति फायदे के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपनी सेवा संगणित करने का हकदार होगा।

(3) उपनियम (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने से पूर्व सरकार की सेवा में नहीं था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर (चाहे पदावधि समाप्त हो जाने पर या पद त्याग के परिणामस्वरूप) उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट दर पर पेंशन का संदाय किया जाएगा :—

परन्तु ऐसी पेंशन किसी भी व्यक्ति को—

(क) तब तक संदेय नहीं होगी जब तक कि उसने पेंशन के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में तीन वर्ष की सेवा न पूरी कर ली हो, या

(ख) उस दशा में संदेय नहीं होगी जब उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटा दिया गया हो।

स्पष्टीकरण :—उपनियम (4) के स्पष्टीकरण II के अधीन रहते हुए, इस उपनियम के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन, यदि वह पहले से ही कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त होगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन संदेय पेंशन—

(क) उस व्यक्ति की दशा में जिसने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, प्रति वर्ष आठ हजार चार सौ रुपए होगी; और

(ख) उस व्यक्ति की दशा में जिसने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में तीन वर्ष या उससे अधिक सेवा की है किन्तु पांच वर्ष से कम की है, वह राशि होगी जो पेंशन के लिए पूरे किए गए सेवा के वर्षों को, खण्ड (क) के अधीन अधिकतम संदेय पेंशन की राशि से गुणा करके, और उसको पांच से भाग देकर, संगणित की जाएगी।

स्पष्टीकरण I—मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को धारण करने वाले किसी व्यक्ति की सेवा की अवधि की संगणना, पूरे किए गए वर्षों के अनुसार की जाएगी किन्तु यदि शेष सेवा छह मास या अधिक है तो आधे वर्ष का अतिरिक्त काल अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण II.—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस नियम के अधीन पेंशन मंजूर की जाती है, पेंशन में क्रमांशिक अनुतोष का उस दर पर हकदार होगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू होती है। पेंशन की राशि, जिसके अन्तर्गत वह पेंशन, यदि कोई हो, भी है जो वह पहले से ही प्राप्त कर रहा है, तथा पेंशन का क्रमांशिक अनुतोष जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा कर चुके व्यक्ति को मंजूर किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर समतुल्य श्रेणी के अधिकारी के लिए नियत अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

(5) उस व्यक्ति को जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद धारण कर चुका है उक्त पद छोड़ने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में प्रत्येक पूरी की गई छह मास की अवधि के लिए उसको मासिक उपलब्धियों की एक-चौथाई की दर से उपदान संदत्त किया जाएगा किन्तु वह पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगा जिसमें उपदान की वह राशि, यदि कोई हो, भी है जो वह सरकार के अधीन सेवा से निवृत्ति पर पहले से प्राप्त कर चुका है।

(6) उपनियम (5) के अधीन संदेय उपदान के प्रयोजनों के लिए उपलब्धियां, चार हजार रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होंगी और उसकी संगणना केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 33 के अनुसार की जाएगी।"

[फा. सं. ए-12011/4/82 प्रशा. I (वि)]
के. सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) तारीख 10 जून, 1972 में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 684 तारीख 26-5-1972 के अधीन प्रकाशित किए गए और पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित:—

अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1235 तारीख 30-9-1972।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

(Vidhaye Vibhag)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1985

GSR. 912(E).—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 324 of the Constitution, the President is pleased to make the following rules further to amend the Chief Election Commissioner's (Conditions of Service) Rules, 1972, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Chief Election Commissioner's (Conditions of Service) Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chief Election Commissioner's (Conditions of Service) Rules, 1972, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. Pension and gratuity.—(1) A person, who, immediately before assuming office as Chief Election Commissioner was in the service of Government, shall, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his assumption of office as Chief Election Commissioner, be entitled to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged with effect from such date :

Provided that, in such an event, his pay as Chief Election Commissioner shall be reduced by an amount equivalent to the gross pension (including any portion of the pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other retirement benefits, and he shall also be entitled to pension for the service rendered as Chief Election Commissioner as provided in sub-rule (3).

(2) A person who immediately before assuming office as Chief Election Commissioner, was in the service of the Government, shall, if he does not exercise the option mentioned in sub-rule (1), be entitled to count his service as Chief Election Commissioner for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment.

(3) Subject to the provisions of sub-rules (1) and (2), a person who, immediately before assuming office as Chief Election Commissioner, was not in the service of Government, shall, on his ceasing to hold office as Chief Election Commissioner, be paid [whether on the expiry of term or as a result of resignation] a pension at the rates specified in sub-rule (4) :

Provided that no such pension shall be payable to a person—

(a) unless he has completed not less than three years of service for pension as Chief Election Commissioner; or

(b) if he has been removed from office as Chief Election Commissioner.

Explanation.—Subject to Explanation II to sub-rule (4), the pension payable to any person under this sub-rule shall, if he is already in receipt of any other pension, be in addition to such other pension.

(4) The pension payable under sub-rule (3) shall,—

(a) in the case of a person who has completed five years of service as Chief Election Commissioner, be an amount of rupees eight thousand four hundred per annum; and

(b) in the case of a person who has rendered service as Chief Election Commissioner for a period of three years or more but less than five years, be an amount calculated by multiplying the completed years of service for pension by the amount of the maximum pension admissible under clause (a) and shall be divided by five.

EXPLANATION I.—The duration of service of a person as Chief Election Commissioner shall be computed in terms of completed years; but if the balance of service rendered is six months or more, additional benefit of half a year pension may be allowed.

Explanation II.—Every person who is sanctioned pension under this rule shall be eligible for graded relief in pension at the rates applicable to Central Government Officers from time to time. The amount of pension, including the pension, if any, which he is already in receipt of, plus the graded relief in pension, granted to a person who has served as Chief Election Commissioner shall not, however, exceed the overall ceiling fixed by the Central Government for an officer of equivalent grade from time to time.

(5) A person who has held the office of the Chief Election Commissioner shall, on demitting the said office, be paid a gratuity at the rate of one-fourth of his monthly emoluments for each completed six monthly periods of service as Chief Election Commissioner, subject to a maximum of rupees fifty thousand, including the amount, if any, of gratuity already received by him on retirement from service under the Government.

(6) For the purposes of gratuity admissible under sub-rule (5), emoluments shall be subject to a maximum of four thousand rupees per mensem, and shall be reckoned in accordance with rule 33 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972."

[F. No. A. 12011/4/82-Adm. I(LD)]
K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published vide Notification No. GSR 684, dated 26-5-1972, Gazette of India, June 10, 1972 Part II, Section 3(i), Page 1554 and subsequently amended by :—

Notification No. GSR 1235, dated 30-9-1972.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985